

21/12/16

22

आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक 137

उपपर्युक्त मन्त्रालय,

पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

दिनांक 13

11/12/2016

उपपर्युक्त,

पलामू।

विषय

हालतनगज

पलामू जिला

मेदिनीनगर, दिनांक 11.12.16 /
के अंचल-सदर मेदिनीनगर, ग्राम-पोखराहा खूद में जवाहर नवोदय
विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान आदि हेतु भूमि का लीज बन्दोबस्ती के
संबंध में।

प्रसंग-

आपका पत्रांक 10/रा0 दिनांक 09.01.2016।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा पलामू जिला के
अंचल-सदर मेदिनीनगर, ग्राम-पोखराहा खूद में जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान
आदि हेतु 12.00 एकड़ गैरमजबूत मालिक भूमि के लीज बन्दोबस्ती का प्रस्ताव अभिलेख सं0-03/2015-16
से प्राप्त है।

अभिलेख के परीक्षण में निम्नांकित त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं-

1. भूमि के सशुल्क लीज बन्दोबस्ती हेतु प्रस्तावित भूमि से संबंधित निबंधन कार्यालय, पलामू का
अभिप्रमाणित अद्यतन दर तालिका वांछित है।
2. प्रस्तावित भूमि का किस्म जमीन टांड-3 एवं जंगल साखू दर्ज है। जंगल साखू प्रकृति की भूमि झिन्ड
फोरेस्ट की श्रेणी में आती है, जिसके बन्दोबस्ती/हस्तांतरण हेतु वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र
वांछित है।
3. चयनित स्थल की उपयुक्तता के संबंध में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंधन का मतव्य वांछित है।

अतः उपरोक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु अभिलेख सं0-03/2015-16 मूल रूप में वापस किया
जाता है।

अनु10 :- यथोक्त।

अभिलेख सं0-03/2015-16 मूल में।

विश्वासभाजन,

10.12.2016

आयुक्त के सचिव,

पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

11/12/2016

11/12/2016